

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/७७३

दिनांक:- 30-1-17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
नागौर

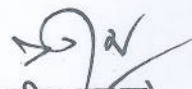
विषय :- श्री अणदाराम, कनिष्ठ लेखाकार (मेरिट नं. 44/88) को एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय का आदेश एफ1(सी) 1572/जॉच/2013/1916-19
दिनांक 05.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेश के अनुसार श्री अणदाराम, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध लम्बित विभागीय जॉच प्रत्याहरित की गई है। अतः कार्मिक को देय एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में प्रकरण निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय


(प्रदीप माथुर)

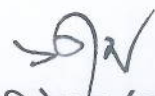
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :-F4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/७७३

दिनांक:- 30-1-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
2. उपनिदेशक (एसीपी), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)